

समाहरणालय, पटना ।

(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

09-07-2013

आवेदक श्री आलोक रंजन, पिता—श्री परशुराम सिंह, सा०—लोदीपुर, थाना—नौबतपुर, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09-452/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि—05.07.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि—09.07.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि को सुनवाई स्थगित करते हुए दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक—09.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वर्ष—1982 में उनके घर में डकैती हुई थी, जिसमें उनकी माँ की हत्या कर दी गयी थी। उनके पिता के नाम पूर्व से एक एन०पी०बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं०—436/82 प्राप्त है। जिस पर धारित शस्त्र को वे उन्हें हस्तांतरित करना चाहते हैं और इस आशय एवं शपथ पत्र भी उनके पिता के द्वारा दाखिल किया गया है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक—153/गो०, दिनांक—03.02.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर के ज्ञापांक—275/13, दिनांक—28.01.2013 के माध्यम से प्राप्त कर मूल में अग्रसारित किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा थानाध्यक्ष, नौबतपुर के अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, नौबतपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक गृहस्थी एवं राजनीति करते हैं। वर्ष—1982 में आवेदक के घर में डकैती हुई थी, जिसमें उनके माँ की हत्या कर दी गयी थी। आवेदक के पिता के नाम पूर्व से एक एन०पी०बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं०—436/82 प्राप्त है। तदोपरान्त आवेदक के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है। साथ ही आवेदक के पिता श्री परशुराम सिंह की शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०-436/82 को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत रद्द की जाती है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री आलोक रंजन, पिता-श्री परशुराम सिंह, सा०-लोदीपुर, थाना-नौबतपुर, जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री रंजन को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो, एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त एवं अपने पिता की मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।